

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2019—आश्विन 24, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्र. 23-1-स्था.-2016-विधि निर्वा.-18068.—मध्यप्रदेश निर्वाचन (राजपत्रित) सेवा (वर्ग एक एवं दो) भर्ती नियम, 1993 में संशोधन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

“संलग्न संशोधन”

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन (राजपत्रित) सेवा (वर्ग एक और दो) भर्ती नियम, 1993 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये—

अर्थात्:—

अनुसूची—“तीन” (नियम 8 देखें)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विधि (निर्वाचन)	1. सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. म. प्र. लोक सेवा आयोग का सदस्य —सदस्य 3. अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विधि (निर्वाचन)	2. निज सचिव	स्टाफ आफिसर	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग —सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. —सदस्य
	3. वरिष्ठ शीघ्रलेखक	निज सचिव	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग —सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. —सदस्य
	4. अनुभाग अधिकारी	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग —सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. —सदस्य
	5. प्रोग्रामर	सिस्टम एनालिस्ट	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग —सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. —सदस्य
	6. सहायक ग्रेड-1	अनुभाग अधिकारी	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग —सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. —सदस्य
	7. सहायक प्रोग्रामर	प्रोग्रामर	5 वर्ष	1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी —अध्यक्ष 2. संयुक्त/उप सचिव विधि विभाग —सदस्य 3. अपर/संयुक्त/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. —सदस्य

In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Election (Gazetted) Service (Class I & II) Recruitment Rules, 1993 namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for “Schedule-III”,—the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-III

(See rule-8)

Name of Department	Name of service or Post from which Promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Experience required for promotion	Name of Members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Law (Election)	1. Assistant Chief Electoral Officer	Deputy Chief Electoral Officer	5 Years	1. Chief Electoral Officer —Chairman 2. Member of M.P.P.S.C. —Member 3. Addl./Joint Chief Electoral Officer. —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Law (Election)	2. Private Secretary	Staff Officer	5 Years	1. Chief Electoral Officer —Chairman 2. Joint/Deputy Secretary —Member Law Department. 3. Addl./Joint/Deputy —Member Chief Electoral Officer.
	3. Senior Stenographer	Private Secretary	5 Years	1. Chief Electoral Officer —Chairman 2. Joint/Deputy Secretary —Member Law Department. 3. Addl./Joint/Deputy —Member Chief Electoral Officer.
	4. Section Officer	Assistant Chief Electoral Officer	5 Years	1. Chief Electoral Officer —Chairman 2. Joint/Deputy Secretary —Member Law Department. 3. Addl./Joint/Deputy —Member Chief Electoral Officer.
	5. Programmer	System Analyst	5 Years	1. Chief Electoral Officer —Chairman 2. Joint/Deputy Secretary —Member Law Department. 3. Addl./Joint/Deputy —Member Chief Electoral Officer.
	6. Assistant Grade-I	Section Officer	5 Years	1. Chief Electoral Officer —Chairman 2. Joint/Deputy Secretary —Member Law Department. 3. Addl./Joint/Deputy —Member Chief Electoral Officer.
	7. Assistant Programmer	Programmer	5 Years	1. Chief Electoral Officer —Chairman 2. Joint/Deputy Secretary —Member Law Department. 3. Addl./Joint/Deputy —Member Chief Electoral Officer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.